

19/06/25 ~~पेश~~ पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्चनारायण डण्डे
वारी का वाद सं. 5/25 चलने योग्य ना
होने से खारिज किया जा चुका है। इसलिए
T.2 का पत्र का कोई ऑफिस रीप नहीं
बह जाता है। इसलिए T.2 का पत्र खारिज
किया जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमाट कोकर
दर्ज नं. से कम होकर दाखिल रफ़्तार है।
निर्णय सुले न्यायालय से सुनाया गया।

अपरवर्त अधिकारी
सॉभर लेक

